प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **180/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
निर्भय सिंह राणावत पुत्र भंवर सिंह राणावत निवासीः बरोड़िया, खेरोदा, उदयपुर

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीण्डर, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 24/12/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/180/25/1191–92 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा जरिये पत्रांक RTI/2025/364 दिनांक 22.12.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर प्रार्थी को चाही गई सूचना कार्यालय पत्रांक RTI/2025/316 दिनांक 26.09.2025 को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवा दी गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील दायर की थी। उक्त द्वितीय अपील में पारित निर्णय दिनांक 08.12.2025 अनुसार अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में अपील दायर करने के स्पष्ट आधार या कारण अंकित नहीं करने एवं प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना दिनांक 26.09.2025 के संबंध में कोई विशेष एवं स्पष्ट आपत्ति व्यक्त नहीं करने से द्वितीय अपील को निस्तारित कर दिया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 316 दिनांक 26.09.2025 से सूचना प्रेषित की जा चुकी है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलोत्तर अनुसार अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में दायर की गई द्वितीय अपील भी निस्तारित की जा चुकी है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब/सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब/सूचना से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24-12-2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर